

प्रबन्धक,

सिरी पाइक शुल्क, रखली लालाद

विंशेत्र- रखली लालाद जनपद- संत कबीर नगर

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-II के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।


प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक २९/६/२०१६ और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं सिरी पाइक शुल्क, रखली लालाद को कक्षा ४ से ५ तक कक्षा ०५ तक हेतु दिनांक २९/६/२०१६ से दिनांक २०/६/२०१६ तक तीन वर्षों की खालियों के लिए औपचारिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :-


1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के २५ % तक पास-पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा; परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से ब्रंचित नहीं करेगा-
 - (क) बालक का आयु-प्रमाण न होने पर;
 - (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :

- (एक) किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
- (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या भानासिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा;
- (तीन) किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तरण करना अपेक्षित नहीं है।

- (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा;
- (पांच) अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/दिशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्दर्शन;
- (छ) अध्यापक अधिनियम की घास 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है; और
- (सात) अध्यापक निजी अध्यापक क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
 9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की घास 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
 10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई ऐर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
 11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
 13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या-20/13-14/(1) है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 16. समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
 17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
 18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

संत कबीर नगर



२१/६

२०१३


Manager

CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar


Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
Rly. Station Road, Khalilabad
Sant Kabir Nagar

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांक/मान्यता/बेसिक-1/ २०१०/१० /2015-16

दिनांक २५/३/2016

प्रबन्धक,

सिटी पब्लिक स्कूल,
खलीलाबाद, जनपद-संत कबीर नगर।

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-II के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चात्तरी पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं सिटी पब्लिक स्कूल, खलीलाबाद, जनपद-संत कबीर नगर कक्षा 6 से 8 तक हेतु दिनांक 31.03.2016 से तारीख 30.03.2019 दिनांक तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या के 25% तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा—
 - (क) बालका का आयु-प्रमाण न होने पर,
 - (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :
 - (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रख जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
 - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या जानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा;
 - (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है;

25/3/2016

- (चार) प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
- (पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
- (छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और
- (सात) अध्यापक निजी अध्यापक क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
 9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
 10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
 11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
 13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या...../2015-16()है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 16. समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
 17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
 18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

जिला बोर्ड शिक्षा अधिकारी,
संत कबीर नगर
[Signature]


Principal
CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar

सीपीसीएस
Manager
CITY PUBLIC SCHOOL
 Rly. Station Road, Khalilabad
 Sant Kabir Nagar